Session 2020-21
Admission Rules:

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों की स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर (बी०ए०/बी०एस–सी०/बी०कॉम०/एम०ए०/एम०एस–सी०/एम०कॉम०) की कक्षाओं में

प्रवेश के नियम

(सत्र 2020–2021 से प्रभावी)

अध्याय 1– साधारण नियम–

1.1 विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑन लाइन (Online) पद्धति से प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाएगें। सभी विषयों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के परिसरों के लिये निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे।

1.2 विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात प्रवेश सम्भव नहीं होगा। Online प्रवेश Portal अन्तिम तिथि के बाद स्वतः Lock हो जायेगा।

1.3 महाविद्यालयों/परिसरों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों के Online प्रवेश आवेदनों के आधार पर अंतरिम योग्यता सूची तैयार की जायगी तथा काउसलिंग आरम्भ होने की निर्धारित तिथि से पूर्व संबंधित महाविद्यालय/परिसर को उपलब्ध करा दी जाएगी। महाविद्यालय/परिसर अंतरिम योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करेंगे और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देंगें जिनकी समस्त अर्हताओं तथा Online प्रवेश आवेदन में अंकित सूचनाओं की सत्यता का मूल अकपत्रों व प्रमाणपत्रों के आधार पर परिसर/महाविद्यालय स्तर पर Verification कर लिया गया हो।

1.4 Online माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर में अपने शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा अधिभार/आरक्षण विषयक प्रमाण पत्रों आदि में से प्रत्येक की दो–दो स्पष्ट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

1.5 अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के समय बिन्दु–(क) तथा बिन्दु–(ख) में उल्लेखित निर्धारित शपथ–पत्र प्रारूप पर हस्ताक्षर करने होंगें। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय विश्वविद्यालय के शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाएंगे।

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा,उत्तराखण्ड

छात्र द्वारा शपथ–पत्र

(क)

(1) मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि **सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोडा** के विद्यार्थी के रूप में अपना व्यवहार तथा आचरण ठीक रखूंगा/रखूँगी तथा किसी समाज विरोधी कार्यवाही में भाग नहीं लूंगा/लूंगी एवं विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश तथा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करूगा करूँगी अन्यथा मैं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को बाध्य रहूँगा/रहूँगी।

(2) मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि प्रवेश आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिये गये सभी विवरण सत्य हैं। यदि किसी समय कोई भी प्रविष्टि असत्य पायी गयी तो विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मुझे मान्य होगा।

(3) मैं महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समयानुसार जमा करूँगा/करूँगी। यदि मैं समय पर शुल्क जमा नहीं करता/करती हूँ तो महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने अथवा मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का पूर्ण अधिकार होगा।

(4) यदि मैं विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के विरूद्ध किसी अन्य पाठ्यक्रम में इस अथवा अन्य विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता/लेती हूँ तो इस विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में मेरा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर–

प्रति हस्ताक्षरित
(सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर के शिक्षक द्वारा)

(ख)

पिता अथवा अभिभावक की घोषणा

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि श्री/कु0/श्रीमती .... जो मेरे संरक्षण में रहेंगे/रहेंगी, विश्वविद्यालय में अपने अध्ययन के पूरे समय अपना व्यवहार एवं आचरण उचित रखेंगे/रखेंगी। यदि वे उपर्युक्त शपथ का पालन करने में असफल रहते/रहती हैं तो, इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को मेरा पाल्य बाध्य होगा तथा निर्णय मुझे मान्य होगा।

हस्ताक्षर– पिता/अभिभावक

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा,उत्तराखण्ड

1.6 (क) कुमाऊँ विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातकों को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु कुल योग्यतांक I=(X+2Y+2Z) के 5 प्रतिशत अथवा अधिकतम 150 अंक अतिरिक्त प्रदान किये जायेंगे।

(ख) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षा में उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यता–क्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक सीटों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जाएगा और केवल स्थान रिक्त रहने एवं प्रवेश की अवधि रहने पर ही इससे अधिक स्थानों पर प्रवेश अनुमन्य हो सकेगा। परन्तु यू0जी0सी0 के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के "सेण्टर ऑफ एडवांस स्टडीज" विभागों में उत्तराखण्ड राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों हेतु योग्यताक्रम में आने की स्थिति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से निर्गत निर्देशानुसार प्रवेश किये जा सकते हैं।

(ग) प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर स्तर के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता में 10 प्रतिशत अधिक अंक होने पर (जैसे निर्धारित अर्हता उपाधि बी0ए0 या बी0काम0 में 10 प्रतिशत अधिक अंक यानि न्यूनतम 40 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत या बी0एस–सी0 में न्यूनतम 45 प्रतिशत के स्थान पर 55 प्रतिशत अंक होने पर) ही प्रवेश अर्ह किया जाएगा। एतदद्वारा निर्धारित अर्हता से कम अंक होने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

1.7 किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में स्थान तथा साधनों की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश हेतु सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी ।

1.8 (क) जो व्यक्ति नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम/कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय–परिसर द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ग) यदि किसी छात्र के विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को अन्य नियमों के अन्तर्गत अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।

(घ) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस प्रशासन द्वारा निरूद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरूद्ध की गयी अवधि के लिए महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दण्डित किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।

1.9 सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य अथवा प्रवेश स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी युक्तिसंगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकते है। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा।

1.10 (अ) किसी भी अभ्यर्थी को जो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुशासनहीनता करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ब) किसी भी अभ्यर्थी को जो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप सजा के विरूद्ध विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यह तथ्य अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश को प्रस्तर 1.8 (ख) के अन्तर्गत "धोखाधड़ी से प्रवेश लेना" माना जायेगा।

1.11 किसी भी विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है, यदि उसने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण–पत्र सम्बन्धित महाविद्यालय/संकाय में जमा न किया हो।

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा,उत्तराखण्ड

1.12 वार्षिक परीक्षा पद्धति (Annual Mode) से आच्छादित ऐसे अभ्यर्थी जिसने प्रायोगिक विषय के साथ किसी कक्षा में विधिवत प्रवेश लिया हो किन्तु किसी अपरिहार्य कारणों से उस वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित न हो सका हो, तो उसे दूसरे वर्ष उसी कक्षा की परीक्षा में व्यक्तिगत भूतपूर्व परीक्षार्थी के रुप में सम्मिलित होने की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात ही दी जा सकती है।

1.13 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक– 1144/कार्मिक–2–2001–53(1)/2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001 के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत है–

1– अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत
2– अनुसूचित जनजाति	04 प्रतिशत
3– अन्य पिछड़ा वर्ग	14 प्रतिशत

(नान–क्रीमीलियर का अद्यतन प्रमाण पत्र जो कि पिछले एक वर्ष से पूर्व का न हो, प्रस्तुत करना होगा)

नोट– महिलाओं, सैनिकों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार हॉरिजन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा–

(1) महिलाएं	30 प्रतिशत
(2) भूतपूर्व सैनिक	05 प्रतिशत
(3) दिव्यांग	04 प्रतिशत
(4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02 प्रतिशत

(जों महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगी/होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता–क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)

1.14 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधा दिये जाने का निर्णय लिया।

(i) Extension in date of admission upto 30 days.

(ii) Relaxation in cut-off percentage up to 10% subject to minimum eligibility requirement.

(iii) Increase in take capacity upto 5% course-wise.

(iv) Reservation of at least one seat in merit quota in technical/professional institutions.

(v) Waiving of domicile requirements.

(vi) Facilitation of migration in second and subsequent years.

1.15 स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा–

(क) एन0सी0सी0 'बी' 'सी' अथवा 'जी' पार्ट–1, जी–2 प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी	25 अंक
(ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय में भाग लेने पर)	20 अंक
(ग) प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगाभाई/बहन	20 अंक

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा उत्तराखण्ड

(घ) जम्मू–कश्मीर में तैनात अर्द्ध–सैनिकों के पुत्र/पुत्री पति/पत्नी/सगा भाई बहन तथा जम्मू–कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगाभाई/बहन — 20 अंक

(ड) विश्वविद्यालय की फर्स्ट एलेवन टीम में भाग लेने वाले विद्यार्थी — 20 अंक

(च) शासन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी जिन्हें जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा इस निमित्त प्रमाणपत्र निर्गत किया गया हो। — 25 अंक

(छ) राज्य स्तर पर कोई पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी अन्तर विश्वविद्यालय टीम से संयुक्त विश्वविद्यालय प्रतियोगिता खेलने पर — 25अंक

अथवा

किसी छात्र/छात्रा ने विश्वविद्यालय टीम का सदस्य होकर अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया हो या इसी स्तर की उच्च टीमों का सदस्य रहा हो या उच्च स्तर की वाद–विवाद प्रतियोगिता/ सांस्कृतिक कार्यकम/प्रदर्शनी में. भाग लिया हो।

(ज) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर– — 50 अंक

नोटः उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम 50 अंकों का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

1.16 यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक अथवा स्नाकोत्तर स्तर पर ऑनलाइन प्रवेश आवेदन प्रपत्र में विषय संकाय/महाविद्यालय के लिए एक से अधिक विकल्प इंगित किये हों तो विषय/संकाय, महाविद्यालय के लिए परिवर्तन सम्बन्धित विषय/संकाय/महाविद्यालय में स्थान उपलब्ध होने तथा अभ्यर्थी के अर्ह होने की दशा, में परिसर, महाविद्यालय के स्तर पर विषय परिवर्तन किसी भी स्थिति में परिसर/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश पाये अभ्यर्थियों की सत्यापित सूची विश्वविद्यालय को प्रेषित किए जाने के उपरान्त स्वीकार्य नहीं होगा। परिसर/महाविद्यालय स्तर पर प्रवेश सूची के सत्यापन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक माह का समय अनुमन्य होगा।

1.17 प्रवेश नियमों के अन्तर्गत रहते हुए किसी भी विद्यार्थी को इण्टरमीडिएट परीक्षा

(क) उत्तीर्ण करने के 02 वर्ष के अन्दर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा तथा विद्यार्थी को स्नातक में प्रथम बार प्रवेश लेने की तिथि से स्नातक स्तर पर 5 वर्ष (10 सेमेस्टर) तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 4 वर्ष (08 सेमेस्टर) कुल 09 वर्ष का अध्ययनकाल (08 सेमेस्टर) (विधि/शिक्षा/व्यावसायिक पाठयकम को छोड़कर) अनुमन्य होगा। उक्त निर्धारित शैक्षिक अवधि के उपरान्त लिया गया प्रवेश अवैध माना जायेगा तथा उस कक्षा/विषय की उपाधि निरस्त कर दी जायेगी।

(ख) एक विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को किसी भी दशा में अन्य विषय में स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।

1.18 सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों/परिसरों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी0सी0) के किसी भी विद्यार्थी को सामान्यतः प्रवेश नही दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम एक माह के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय संकाय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश चाहने वाले विश्वविद्यालय के बाहर के अभ्यर्थियों को प्रवर्जन प्रमाणपत्र सम्बन्धित महाविद्यालय/संकाय में जमा करना अनिवार्य होगा।

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा

1.19 एक सत्र में स्नातक/स्नातकोत्तर (सेमेस्टर)/डिप्लोमा अथवा शोध में से किसी एक ही पाठ्यक्रम/उपाधि/डिप्लोमा हेतु विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश अनुमन्य होगा। एक से अधिक पाठ्यक्रम/उपाधि/डिप्लोमा में प्रवेश लेने पर एक के अतिरिक्त अन्य सभी प्रवेश निरस्त कर दिये जाएंगे। एक ही विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय में किसी एक एड–ऑन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक 1–6/2007(cpp-II) दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 (जो कि एक ही सत्र में दो उपाधि या संयुक्त उपाधि के संबंध में है) के अनुपालन में विश्वविद्यालय समिति के निर्णयानुसार एक सत्र में उस निश्चित अवधि की एक ही उपाधि मान्य होगी। यदि किसी अभ्यर्थी की किसी कारण वश एक सत्र में दो उपाधि होती हैं तो अभ्यर्थी द्वारा नियमानुसार उस समय चल रही एक उपाधि/सेमेस्टर को निरस्त कराना होगा।

1.20 प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार 75 प्रतिशत

(क) उपस्थिति अनिवार्य होगी। विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा 5 प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष/प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।

(ख) अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद–विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में संस्था अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जो कि अभ्यर्थी को मान्य होगा।

1.21 अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में प्रवेश लेने के पश्चात अभ्यर्थी के आवेदन पत्र से सम्बन्धित अभिलेख यथा आवेदन पत्र, शैक्षणिक प्रपत्र, अन्य प्रपत्रों का 03 माह पश्चात विनिष्टिकरण कर दिया जायेगा। यह नियम प्रवेश से वंचित छात्रों के सम्बन्ध में भी लागू होगा।

1.22 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग संबंधी विनियम 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग प्रतिबंधित एंव निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में अपराधी पाए जाने पर संबंधित छात्र–छात्रा के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

1.23 The candidate for the Under-Graduation programs will take a compulsory paper/ subject and choose the optional- subject combination as per the group-scheme provided below-

A- For B.Sc.

i- The candidate has to appear in the exam of the compulsory paper of "**Environmental Science**" in the 4th Semester.

ii- A student has to opt "**total three optional subject** out of the four (04) groups given below" selecting only one optional subject from one group.

Mathematics Group			
A	B	C	D
Mathematics	Physics	Chemistry Computer Science Economics Geography Information Technology Military Science	Statistics Geology

Biology Group			
A	B	C	D
Botany	Zoology	Chemistry Economics Geography Information Technology Military Science	Forestry Geology

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा उत्तराखण्ड

B- For B.A.

i- The candidate has to appear in the exam of the compulsory paper of **"Environmental Science"** in the 4th Semester.

ii- The candidate has to take one compulsory subject of language (to be chose from Hindi/ or Sanskrit/ or English) in I & II Semester.

iii- The candidate has to opt **total three optional subjects** out of the five Group given below, selecting only one optional subject from one group.

Arts Group					
A	B	C	D	E	F
English Literature Kumaouni Bhasa Sanskrit Literature	Anthropology Drawing and Painting Economics Home Science Physical Education Psychology	Geography History Information Technology Military Science Music Statistics Yoga	Education Sociology	Hindi Literature Mathematics	Political Science

प्रत्येक परिसर/महाविद्यालय में विद्यार्थी द्वारा प्रवेश लिये जाने हेतु प्रत्येक ग्रुप से केवल उन्हीं विषयों का चयन कर सकेंगे, जो विषय उस परिसर/महाविद्यालय में उपलब्ध हो।

C- For B.Com.

i- The candidate has to appear in the exam of the compulsory paper of **"Environmental Science"** in the 4th Semester.

ii- The candidate has to study 04 papers in each semester.

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा,उत्तराखण्ड

विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों की स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर
(बी0ए0/बी0एस–सी0/बी0कॉम0/एम0ए0/एम0कॉम0/एम0एस–सी0) की कक्षाओं में
प्रवेश हेतु अर्हता निर्धारण के नियम
(शिक्षा सत्र 2020–2021)

अध्याय–2– योग्यता सूची निर्धारण के नियम –

2.1 स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में प्रवेश भर्ती की निर्धारित सीमा तक संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा इण्टरमीडिएट (10+2) कक्षा में प्राप्तांकों के अनुसार योग्यता अंकों के आधार पर किए जाएंगे। उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद से अनुमोदित बोर्ड/यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण छात्र छात्रायें प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

(क) कला, दृश्य कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में स्थानों की निर्धारित सीमा के भीतर योग्यता कम के आधार पर प्रवेश हेतु अर्हता निम्नवत होगी–

(1) कला संकाय, दृश्य कला हेतु इण्टरमीडिएट 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। (40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)

(2) विज्ञान संकाय हेतु इण्टरमीडिएट (विज्ञान) 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। (45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)

(3) वाणिज्य संकाय हेतु इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय सहित 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत) अथवा इण्टरमीडिएट कला विज्ञान में 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)। इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी।

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग हेतु प्रत्येक संकाय के लिए प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी।

(ख) यदि किसी छात्र/छात्रा का अर्ह परीक्षा के उपरान्त सम्बन्धित विषयों के अध्ययन में अवरोध आया हो तथा किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर अनुत्तीर्ण न हुआ हो, प्रत्येक अवरोध वर्ष के लिए प्राप्तांकों में से 5 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता क्रम से प्रवेश दिया जा सकता हैं।

(ग) यदि कोई छात्र स्नातक स्तर की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा. में अनुर्तीण हो गया हो अथवा प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना संकाय (यथा– स्नातक स्तर पर विज्ञान से कला अथवा वाणिज्य) परिवर्तित कर परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश चाहता हैं तो ऐसे छात्र द्वारा परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विधिवत आवेदन करना होगा। जिसके उपरान्त ऐसे छात्र को सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नियम 2–1 (क) के अनुसार तथा अवरोध वर्ष के लिए प्राप्तांकों में से 05 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता सूची में आने पर एवं सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में उस परिसर, महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

यदि कोई छात्र विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर कला/वाणिज्य एवं विज्ञान की प्रथम सेमेस्टर कक्षा में अनुर्तीण हो गया हो अथवा प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में विज्ञान अथवा वाणिज्य से कला सकाय में प्रवेश लेना चाहता है एवं साथ ही स्नातकोत्तर (कला संकाय) का कोई छात्र प्रथम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण हो गया है अथवा प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना विषय परिवर्तित कर कला संकाय के अन्तर्गत परिसर/महाविद्यालय में विधिवत प्रवेश लेने हेतु आवेदन करना चाहता है तो ऐसे छात्र द्वारा परिसर/महाविद्यालय में विधिवत प्रवेश लेने हेतु आवेदन करना होगा। जिसके उपरान्त ऐसे छात्र को संबंधित परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नियम 2–1 (क) के अनुसार तथा अवशोध वर्ष के लिये प्राप्तांकों में से 05 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता सूची में आने पर एवं सम्बन्धित परिसर महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में उस परिसर/महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता है। ऐसे प्रवेशित छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में आवंटित नामांकन संख्या का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा उत्तराखण्ड

प्रवेशित छात्रों को लिगदोह समिति की सिफारिशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

2.2 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिक्षेत्र में स्थानान्तरित होकर आये व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री/पत्नी/सगा भाई/बहन से वांछिए प्रमाण–पत्र प्राप्त कर स्थान उपलब्ध होने पर प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते कि स्थानान्तरण से पूर्व उसक वार्ड का प्रवेश पूर्व स्थान के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में हो चुका हो तथा पूर्व विश्वविद्यालय का पाठयकम सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पाठयकम से 75 प्रतिशत तक मिलता हो और जिसकी संस्तुति सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा गठित सक्षम समिति द्वारा प्रदान की गयी हो।

2.3 शिक्षणेत्तर कार्य–कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्यो/संकायाध्यक्षों की संस्तुति पर मा0 कुलपति जी अपने विवके से प्रवेश दे सकते है।

2.4 परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठन–पाठन प्रारम्भ किया जायेगा

2.5 स्नातकोत्तर (विज्ञान संकाय) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए योग्यता निर्धारण हेतु नियम (जहां लागू हो)

Calculation of Index for P.G. I Semester Admission (Where ever applicable)

The following formula would be used for admission to P.G. I semester class-

I= X+ 2Y+2Z (Merit index)
X= Marks ontained in practicals of all subject at UG Level
Y= Marks ontained in theory of all subjects taken at UG Level (This would include all the subject taken at UG Level)
Z= Total marks obtained in theory at UG Level in the subject in which admission is required at PG Semester class (Admission would be given to PG Semester- I, only in one of the subject taken at the UG level)

मान्यत्ता प्राप्त एन0 आई0 ओ0 एस0 (National Institute of Open Schooling) बोर्ड के उत्तीर्ण छात्रों को 05 विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रवेश लेने हेतु सबसे अच्छे पाँच विषयों का चयन करना होगा।
2.6 कला संकाय के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा–

(1) कोई भी स्नातक उपाधि धारक अभ्यर्थी (स्नातक की उपाधि यू0जी0सी0 द्वारा मान्तया प्राप्त संस्थाओं से उर्त्तीण होना अनिवार्य है तथा स्नातक (कला/वाणिज्य/विज्ञान) की उपाधि कम से कम तीन वर्ष होनी चाहिए) जिसने स्नातक की परीक्षा न्यूनतम 40 प्रतिशत के साथ उर्त्तीण की हो, को स्नातकोत्तर (कला संकाय/विषय में) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अर्ह माना जायेगा तथा स्नातकोत्तर (कला संकाय) के प्रयोगात्मक विषयों को छोड़कर अन्य विषयों में प्रवेश हेतु अर्ह माना जाएगा। इसी प्रकार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक (वाणिज्य संकाय) की परीक्षा न्यूनतम 40 प्रतिशत के साथ उर्त्तीण की हो, ऐसे अभ्यर्थी स्नातकोत्तर (वाणिज्य संकाय) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अर्ह माने जायेगे।

(2) कला स्नातक द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी यह सुविधा रहेगी कि वे कला संकाय के किसी भी ऐसे विषय में स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अर्ह होगें, जिसमें प्रयोगात्मक परीक्षा न होती हो। कला संकाय के किसी प्रयोगात्मक विषय में (भूगोल के अतिरिक्त) स्नातकोत्तर प्रवेश हेतु वे ही अभ्यर्थी अर्ह होगें जिन्होंने स्नातक उपाधि उस प्रयोगात्मक विषय को लेकर प्राप्त की हो।

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा,उत्तराखण्ड

अभ्यर्थी का शपथ प्रमाण पत्र

1. मैं श्री/श्रीमती/सुश्री ....
....(विद्यार्थी का नाम एवं पूर्ण पता)
....
.... (पिता/माता/अभिभावक का नाम एवं पूर्ण पता) ....
....(प्रवेश पंजीकरण/पंजीकरण संख्या) ने ....
....(परिसर/महाविद्यालय का नाम) में प्रवेश ले लिया है। मैंने विधि/उच्चतम न्यायालय केन्द्र/राज्य सरकारों के रैगिंग से सम्बन्धित निर्देशों को पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है। रैगिंग निषेध से सम्बन्धित निर्देशों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग से सम्बन्धित विनियम 2010 में उल्लिखित प्रावधानों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।

2. मैंने मुख्यरूप से विनियम 03 को पढ़ लिया है और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या मायने हैं।

3. मैंने धारा–7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है और मुझे पूरी तरह से जानकारी है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर मैं रैगिंग के लिए दोषी पाया जाता हूँ या किसी तरह की रैगिंग के लिए किसी को उकसाता है या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता है, तो प्रशासन मेरे खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता है।

4. मैं निश्चयपूर्वक यह प्रयत्न करूँगा कि –

    क. मैं किसी तरह की रैगिंग जोकि धारा–3 विनियम में उल्लिखित है, उसमें भाग नहीं लेंगे।

    ख. मैं किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लेने लूँगा/लूँगी जो किसी रैगिंग की धारा–3 विनियम के अन्तर्गत आता हो।

5. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मैं रैगिंग के मामले में अपराधी पाया/पायी गयी, तो मुझे विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अन्तर्ग आपराधिक गतिविधियों में मेरे विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

6. मैं यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि मेरे विरूद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग के मामले में प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है और यदि मुझे ऐसे मामले में दोषी पाया जाता है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

स्थान –

दिनांक – हस्ताक्षर

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर .... नाम ....

पूर्ण पता ....
.... मोबाईल नंबर ....

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा,उत्तराखण्ड

** प्रवेश के समय महाविद्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य हैं।

माता–पिता/अभिभावक का शपथ प्रमाण पत्र

1. मैं श्री/श्रीमती/सुश्री ....
....(पिता/माता/अभिभावक का नाम एवं पूर्ण पता) मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य...
.... (विद्यार्थी का नाम एवं पूर्ण पता) ....
(प्रवेश पंजीकरण/पंजीकरण संख्या) ने ....
....(परिसर/महाविद्यालय का नाम) में प्रवेश ले लिया है। रैगिंग निषंध से सम्बन्धित निर्देशों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग से संबंधित 2010 में उल्लिखित प्रावधानों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।

2. मैंने मुख्यरूप से विनियम 03 को पढ़ लिया है और मैं यह जानता/जानती हूँ कि **रैगिंग के क्या मायने हैं।**

3. मैंने धारा–7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है और मुझे पूरी तरह से जानकारी है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य रैगिंग के लिए दोषी पाया जाता है या किसी तरह की रैगिंग के लिए किसी को उकसाता है या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता है, तो प्रशासन मेरे खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता है।

4. मैं निश्चयपूर्वक यह प्रयत्न करूँगा कि –

क. मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य किसी तरह की रैगिंग जोकि धारा–3 विनियम में उल्लिखित है, उसमें भाग नहीं लेंगे।

ख. मैं अपने पुत्र/पुत्री/पाल्य को किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लेने लूँगा/लूँगी जो किसी रैगिंग की धारा–3 विनियम के अन्तर्गत आता हो।

5. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मेरा पुत्र/पुत्री/पाल्य रैगिंग के मामले में अपराधी पाया/पायी गयी, तो मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य मुझे विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अन्तर्ग आपराधिक गतिविधियों में मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

6. मैं यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य के विरूद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग 'के मामले में प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है और यदि मुझे ऐसे मामले में दोषी पाया जाता है तो मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

स्थान –

दिनांक – हस्ताक्षर

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर .... नाम ....

पूर्ण पता ....
.... मोबाईल नंबर ....

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

** प्रवेश के समय महाविद्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है।

पिता अथवा अभिभावक की घोषणा–

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि श्री/कु०/श्रीमती ....
जो मेरे संरक्षण में रहेंगे/रहेंगी विश्वविद्यालय में अपने अध्ययन के पूरे समय अपना व्यवहार एवं आचरण उचित रखेंगे/रखेंगी। यदि वे उपर्युक्त शपथ का पालन करने में असफल रहते/रहती हैं तो इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को मेरा पाल्य बाध्य होगा तथा निर्णय मुझे मान्य होगा।

हस्ताक्षर–पिता/अभिभावक

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा,उत्तराखण्ड

** प्रवेश के समय महाविद्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है।

छात्र द्वारा शपथ–पत्र

(1) मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि **सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोडा** के विद्यार्थी के रूप में अपना व्यवहार तथा आचरंण ठीक रखूगा/रखूँगी तथा किसी समाज विरोधी कार्यवाही में भाग नही लूंगा/लूंगी एवं विश्वविद्यालय/अधिनियम/परिनियम अध्यादेश तथा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करूगा/करूँगी। अन्यथा मैं विश्वविद्यालय महाविद्यालय द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को बाध्य हूंगा/हूंगी।

(2) मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि प्रवेश आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिये गये सभी विवरण सत्य हैं। यदि किसी समय कोई भी प्रविष्टि असत्य पायी गयी तो विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मुझे मान्य होगा।

(3) मैं महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समयानुसार जमा करुँगा/करुँगी। यदि मैं समय पर शुल्क जमा नहीं करता/करती हूँ तो महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने अथवा मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का पूर्ण अधिकार होगा।

(4) यदि मैं विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के विरूद्ध किसी अन्य पाठ्यकम में इस अथवा अन्य विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता/लेती हूँ तो इस विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में मेरा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

प्रति हस्ताक्षरित
(उसी महाविद्यालय/परिसर के शिक्षक द्वारा)

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा,उत्तराखण्ड

** प्रवेश के समय महाविद्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है।

सत्यापन के दौरान सम्बन्धित परिसरों/महाविद्यालयों में प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज –

1. ऑनलाईन आवेदन पत्र की डाउनलोड तथा अभिभावक माता/पिता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रति।

2. विधिवत हस्ताक्षरित अभिवचन, छात्र/अभिभावक घोषणा पत्र तथा एण्टी रैगिंग शपथ पत्र (स्टाम्प पेपर की आवश्यकता नहीं है।

3. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

4. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

5. हाई–स्कूल प्रमाण पत्र।

6. हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा अर्हकारी परीक्षा के अंकपत्रों की छाया प्रतियाँ।

7. ईयर गैप के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र।

8. अधिमान अंकों हेतु सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियाँ (उदाहरणार्थ– एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, खेलकूद इत्यादि। विश्वविद्यालय की वैबसाईट www.ssju.ac.in में निर्देशित हैं।

नोट – अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आवेदन पत्र सत्यापन के समय दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ अवश्य लायें साथ ही यह भी आग्रह है कि विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.ssju.ac.in में दिये गये प्रवेश नियमों को भली–भाँति पढ़ लें।

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा,उत्तराखण्ड

** प्रवेश के समय महाविद्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है।

संशोधन पत्र

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोडा द्वारा जारी प्रवेश नियमावली– 2020–21 के पृष्ठ संख्या– 04 के बिन्दु संख्या– 1.13 के अंतर्गत टंकित होने से छूट गये बिन्दु 4 को सम्मिलित कर लिया जाये।

1.13 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक– 1144/कार्मिक–2–2001–53(1)/2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001 के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत है–

1– अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत
2– अनुसूचित जनजाति	04 प्रतिशत
3– अन्य पिछड़ा वर्ग	14 प्रतिशत
4– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10 प्रतिशत (निर्धारित सीटों के अतिरिक्त) ×

(नान–क्रीमीलियर का अद्यतन प्रमाण पत्र जो कि पिछले एक वर्ष से पूर्व का न हो, प्रस्तुत करना होगा)

कुलसचिव कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

कार्यालय, कुलसचिव, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोडा

पत्रांक संख्या– 444. दिनांक–23/08/2022

संशोधित प्रवेश नियम

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोडा द्वारा जारी शैक्षिक सत्र 2022–23 प्रवेश नियमों में पृष्ठ संख्या– 10 में निम्नानुसार संशोधन समझा जाए–

Biology Groups:		
Group A	**Group B**	**Group C**
Botany	Zoology	Chemistry Forestry Information Technology Geology Milatery Science

(b) **For Bachelor of Arts (B.A.) :**

अभ्यर्थी को दो मुख्य विषयों (Two Major Subject) का चुनाव निम्नलिखित में से दो प्रथक–प्रथक समूहों से करना होगा। अभ्यर्थी तीसरे मुख्य विषय - III (Major Subject- III) को निम्नलिखित समूहों से चुनेगा। उपरोक्त तीनों मुख्य विषय अलग–अलग समूहों से ही चुने जा सकेंगे।

Arts Group					
A	B	C	D	E	F
English Literature Kumaouni Bhasa Sanskrit Literature	Anthropology Drawing and Painting Economics Home Science Physical Education Psychology	Geography History Information Technology Military Science Music Statistics Yoga	Education Sociology	Hindi Literature Mathematics	Political Science

(c) **For Bachelor of Commerce (B.Com.) :**

ग्रुप A एवं B में उपलब्ध मुख्य विषय (Major Subject) सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य हैं। अभ्यर्थी तीसरे मुख्य विषय - III (Major Subject- III) का चुनाव ग्रुप- C के विषयों से कर सकेगा।

प्र0कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोडा

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय

माल रोड, अल्मोड़ा– 263601 (उत्तराखण्ड)

Soban Singh Jeena University

Mall Road, Almora- 263601 (Uttarakhand)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 पर आधारित

www.ssju.ac.in

स्नातक पाठ्यक्रमों
(बी0ए0, बी0एस–सी0, बी0कॉम0)
के लिए प्रवेश नियम व अध्यादेश
2022

प्रवेश नियम
(सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय/संस्थान हेतु)
(शैक्षणिक सत्र 2022–2023 से प्रभावी)

अध्याय–1 साधारण नियम–

1–1 विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑनलाइन (Online) पद्धति से प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाएगें। सभी विषयों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय/संस्थान एवं विश्वविद्यालय के परिसरों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे।

1–2 विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्रवेश सम्भव नहीं होगा। Online प्रवेश Portal अन्तिम तिथि के बाद स्वतः Lock हो जाऐगा। प्रवेश की तिथि के निर्धारण/परिवर्तन/विस्तार के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।

1–3 परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश हेतु परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों के Online प्रवेश आवेदनों के आधार पर प्रवेश समिति द्वारा अनन्तिम योग्यता सूची तैयार की जायेगी अनन्तिम योग्यता सूची तैयार करने के लिए प्रवेश समितियाँ सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय की वेबसाईट से आवेदनकर्ताओं (आवेदन पत्र) का आंकड़ा (Data) Excel Format में डाउनलोड कर सकते हैं। यदि उपरोक्त डाटा डाउनलोन करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही हो तो इसके लिए परीक्षा नियंत्रक को इमेल के माध्यम से भेजने के लिए सूचित किया जा सकता हैं। परिसर/महाविद्यालय/संस्थान अनन्तिम योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करेंगे और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे, जिनकी समस्त अर्हताओं तथा Online प्रवेश आवेदन पत्र/फार्मेट में अंकित सूचनाओं का सत्यापन मूल अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों के आधार पर परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर सत्यापन (Verification) कर लिया गया हो।

1–4 Online माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में अपने आनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा अधिभार/आरक्षण विषयक प्रमाण पत्रों आदि में से प्रत्येक की स्पष्ट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

1–5 अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के समय विश्वविद्यालय की वैबसाईट में प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत उपलब्ध प्रारूप (क) तथा प्रारूप (ख) में उल्लेखित निर्धारित शपथ–पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय के परिसरों द्वारा गठित प्रवेश समिति के शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएंगे।

1—6 किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में स्थान तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश हेतु सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी।

1—7 (क) जो अभ्यर्थी नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम/कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित माहाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र तथ्यों सहित लिखित रूप में प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ग) यदि किसी छात्र के विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।

(घ) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस/प्रशासन द्वारा निरूद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरूद्ध की गयी अवधि के लिए महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दण्डित किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।

1—8 सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य अथवा स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी/समिति युक्तिसंगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को तथ्यों सहित प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

1—9 (क) किसी भी अभ्यर्थी को जो महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासनहीनता करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ख) किसी भी अभ्यर्थी को यदि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यह तथ्य अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश को प्रवेश नियम 1.7 (ख) के अन्तर्गत ''धोखाधड़ी से प्रवेश लेना'' माना जायेगा, तथा ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर परिसर/महाविद्यालय द्वारा यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसकी सूचना परिसर/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय को 15 कार्यदिवसों के अन्तर्गत अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जायेगी।

1—10 प्रवेशरत् किसी भी विद्यार्थी ने यदि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण—पत्र (Migration Certificate) सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय/संस्थान/संकाय/विभाग में जमा न किया हो, तो ऐसे विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

1—11 अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत् है :

1— अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत
2— अनुसूचित जनजाति	04 प्रतिशत
3— अन्य पिछड़ा वर्ग	14 प्रतिशत
4— आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10 प्रतिशत **(निर्धारित सीटों के अतिरिक्त)**

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित वैधता अवधि से पूर्व का न हो।)

नोट : स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार क्षैतिज (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा—

(1)	महिलाऐं	30 प्रतिशत
(2)	भूतपूर्व सैनिक	05 प्रतिशत
(3)	दिव्यांग	04 प्रतिशत
(4)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02 प्रतिशत

(जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगी/होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता—क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)। उत्तराखण्ड शासन द्वारा नीतिगत संशोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।

1—12 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधायें प्रदत्त की जाएगी।

(i) Extension in date of admission upto 30 days

(ii) Relaxation in cut-off percentage upto 10% subject to minimum eligibility requirement.

(iii) Waiving of domicile requirements.

1–13 स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा–

(क) एन0सी0सी0 'बी' 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी	25 अंक
(ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय शिविर में भाग लेने पर)–	20 अंक
(ग) प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी / सगा भाई / बहन–	20 अंक
(घ) जम्मू–कश्मीर में तैनात अर्द्ध–सैनिकों के पुत्र / पुत्री पति / पत्नी / सगा भाई / बहन तथा जम्मू–कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी / सगा भाई / बहन	20 अंक
(ड़) अन्र्तराष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर	50 अंक
(च) अन्तर– विश्वविद्यालय / राज्य / राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने पर	40 अंक
(छ) शासन द्वारा / खेल फैडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने पर	30 अंक
(ज) राज्य / अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर	25 अंक
(झ) अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर	25 अंक
(ञ) अन्तर महाविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में विजेता अथवा उपविजेता	25 अंक
(ट) जिला शिक्षा अधिकारी / सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जिला / मण्डल स्तर पर प्रतिभाग के आधार पर	20 अंक
(ठ) अन्तर–महाविद्यालय प्रतियोगिता में परिसर / महाविद्यालय / संस्थान की किसी खेल की टीम का सदस्य होने पर	15 अंक

नोट– उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम् 50 अंकों का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम् योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

1–14 (क) यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर किसी विषय / विभाग / संकाय / महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है और उसके उपरान्त वह अपने विषय / विभाग / संकाय / महाविद्यालय में परिवर्तन चाहता है तो उक्त परिवर्तन सम्बन्धित परिसरों / महाविद्यालयों / संस्थानों द्वारा उक्त अनापत्ति (NOC) के पश्चात् निर्धारित

शुल्क जमा करते हुए प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्थान रिक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा।

(ख) प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर कोई भी परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

1–15 (क) **स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु–**

प्रवेश नियमों के अन्तर्गत रहते हुए किसी भी अभ्यर्थी को इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त–

1. शिक्षा में अवरोध होने की स्थिति में 02 वर्षों के भीतर स्नातक कक्षा में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
2. अभ्यर्थी की शिक्षा में अवरोध होने की स्थिति में त्रिवर्षीय स्नातक कक्षा में प्रवेश अनुमन्य होगा किन्तु अभ्यर्थी को प्रवेश योग्यता सूची के आधार व कक्षा में स्थान रिक्त होने पर दिये जायेंगे (योग्यता सूची तैयार किये जाने हेतु प्रत्येक वर्ष के लिये विद्यार्थी की इन्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्तांकों के 05 प्रतिशत अंक कम किये जायेंगे)।
3. किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

   व्याख्या (Explanation) :– यदि विद्यार्थी सत्ता में तीनों वर्ष में पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम *नौ वर्ष मिलेंगे किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षो की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेंगे।

   * नोट : नौ वर्ष में स्नातक करने वालों की यह व्यस्था NEP .2020 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर ही लागू होगी, अन्य विद्यार्थियों के लिए सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत किए गए नियम ही लागू होंगे।

4. भविष्य में यू0जी0सी0 अथवा एन0एच0ई0क्यू0एफ0 राज्य सरकार के माध्यम से उपरोक्त सम्बन्ध में जो भी दिशा–निर्देश प्राप्त होंगे उसके आधार पर आवश्यक परिवर्तन किया जाना आवश्यक होगा।

1–16 सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी0सी0) के किसी भी विद्यार्थी को स्नातक कक्षाओं/पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम 15 दिन (पन्द्रह दिन) के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/संकाय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

1–17 एक सत्र में एक ही पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश अनुमन्य होगा, एक से अधिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर एक के अतिरिक्त अन्य सभी प्रवेश निरस्त कर दिये जाएंगे। एक ही विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में किसी एक एड–ऑन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक 1–6/2007 (cpp-II) दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 (जो कि एक ही सत्र में दो उपाधि या संयुक्त उपाधि के संबंध में है) के अनुपालन में विश्वविद्यालय प्रवेश समिति के निर्णयानुसार एक सत्र में उस निश्चित अवधि की एक ही उपाधि मान्य होगी। यदि किसी अभ्यर्थी की किसी कारणवश एक सत्र में दो उपाधि होती हैं तो अभ्यर्थी द्वारा नियमानुसार उस समय चल रही एक उपाधि/सेमेस्टर को निरस्त कराना होगा।

1–18 (क) प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा 05 प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष/प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।

(ख) अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद–विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में संस्था अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा जो निर्णय लिया जायेगा वह अभ्यर्थी को मान्य होगा।

1–19 अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में प्रवेश लेने के पश्चात अभ्यर्थी के आवेदन पत्र से सम्बन्धित अभिलेख यथा आवेदन पत्र, शैक्षणिक प्रपत्र, अन्य प्रपत्रों का 03 माह पश्चात विनिष्टिकरण कर दिया जायेगा। यह नियम प्रवेश से वंचित छात्रों के सम्बन्ध में भी लागू होगा।

1–20 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रैगिंग संबंधी विनियम, 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग प्रतिबंधित एवं निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में अपराधी पाए जाने पर संबंधित छात्र–छात्रा के विरूद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

वैधानिक नियन्त्रण– विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

कुलसचिव

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा

<u>अर्हता निर्धारण के नियम</u>

<u>सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय/संस्थान हेतु</u>
<u>(शैक्षिणक सत्र 2022–2023 से प्रभावी)</u>

अध्याय–2 अर्हता/योग्यता सूची निर्धारण के नियम–

2–1 स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में प्रवेश भर्ती की निर्धारित सीमा तक संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा इण्टरमीडिएट/Senior Secondary (10+2) कक्षा में अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के अनुसार योग्यता अंकों के आधार पर किए जाएंगे।

उत्तराखण्ड सरकार/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड जैसे उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद /यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीण छात्र/छात्रायें ही प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

(क) कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में स्थानों की निर्धारित सीमा के भीतर योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश हेतु अर्हता निम्नवत् होगी :

(1) कला संकाय हेतु इण्टरमीडिएट 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।

(40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)

(2) विज्ञान संकाय हेतु इण्टरमीडिएट (विज्ञान) 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।

(45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)

(3) वाणिज्य संकाय हेतु इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय में 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत) अथवा
इण्टरमीडिएट कला/विज्ञान में 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)।

यदि दो अभ्यर्थियों के इण्टरमीडिएट के प्राप्तांक/मेरिट अंक, जिन्होंने इण्टरमीडिएट परीक्षा कला/विज्ञान अथवा वाणिज्य विषय से उत्तीर्ण की हों, बराबर होते हैं तो वाणिज्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रवेश में वरीयता दी जायेगी।

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्रत्येक संकाय के अन्तर्गत प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी।

(ख) यदि कोई छात्र/छात्रा स्नातक स्तर की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया/गई हो अथवा प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त छात्र/छात्रा पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना संकाय (e.g. स्नातक स्तर पर विज्ञान से कला अथवा वाणिज्य) परिवर्तित कर परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश चाहता/चाहती है तो ऐसे छात्र/छात्रा द्वारा परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विधिवत आवेदन करना होगा, जिसके उपरान्त ऐसे छात्र/छात्रा को सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नियम 2–1 (क) के अनुसार तथा अवरोध वर्ष के लिए प्राप्तांकों में

से 05 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता सूची (Merit Index) में आने पर एवं सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में उस परिसर/महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

2–2 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिक्षेत्र में स्थानान्तरित होकर आए व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/बहन से वांछित प्रमाण–पत्र प्राप्त कर स्थान उपलब्ध होने पर प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते कि स्थानान्तरण से पूर्व उसके वार्ड का प्रवेश पूर्व स्थान के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में हो चुका हो तथा पूर्व विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से 75 प्रतिशत तक मिलता हो और जिसकी संस्तुति सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा गठित सक्षम समिति द्वारा प्रदान की गयी हो।

2–3 शिक्षणेत्तर कार्य–कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्यों/संकायाध्यक्षों की संस्तुति पर प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए प्रवेश के सम्बन्ध में निर्णय देने हेतु अधिकृत होंगे।

2–4 परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठन–पाठन प्रारम्भ किया जायेगा। यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी।

2–5 स्नातक कक्षा में उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यता–क्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक सीटों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जाएगा और केवल स्थान रिक्त रहने एवं प्रवेश की अवधि रहने पर ही इससे अधिक स्थानों पर प्रवेश अनुमन्य हो सकेगा।

2–6 (a) **<u>For Bachelor of Science (B.Sc.) :</u>**

ग्रुप A एवं B में उपलब्ध मुख्य विषय (Major Subject) सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य हैं। अभ्यर्थी तीसरे मुख्य विषय - III (Major Subject- III) का चुनाव ग्रुप - C के विषयों से कर सकेगा।

Mathematics Groups :		
Group A	**Group B**	**Group C**
Mathematics	Physics	Chemistry Statistics Computer Science Information Technology Geology Military Science

Biology Groups:		
Group A	**Group B**	**Group C**
Botany	Zoology	Chemistry Forestry Information Technology Geology Milatery Science

(b) **For Bachelor of Arts (B.A.) :**

अभ्यर्थी को दो मुख्य विषयों (Two Major Subject) का चुनाव निम्नलिखित में से दो प्रथक–प्रथक समूहों से करना होगा। अभ्यर्थी तीसरे मुख्य विषय - III (Major Subject- III) को निम्नलिखित समूहों से चुनेगा। उपरोक्त तीनों मुख्य विषय अलग–अलग समूहों से ही चुने जा सकेंगे।

A	B	C	D	E	F
ENGLISH LITERATURE	DRAWING AND PAINTING	GEOGRAPHY	EDUCATION	HINDI LITERATURE	POLITICAL SCIENCE
KUMAUNI BHASA	ECONOMICS	HISTORY	SOCIOLOGY		
	HOME SCIENCE				
SANSKRIT LITERATURE	PHYSICAL EDUCATION	YOGA			
		MUSIC			
	PSYCHOLOGY	MILATERY SCIENCE			
	ANTHROPOLOGY				

(c) **For Bachelor of Commerce (B.Com.) :**

ग्रुप A एवं B में उपलब्ध मुख्य विषय (Major Subject) सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य हैं। अभ्यर्थी तीसरे मुख्य विषय - III (Major Subject- III) का चुनाव ग्रुप - C के विषयों से कर सकेगा।

Group A	Group B	Group C
Financial Accounting	Business Regulatory Framework	Business Organistion Management
		Business Communication

वैधानिक नियन्त्रण– विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा

Annexure-I

प्रारूप (क)

छात्र द्वारा शपथ–पत्र

1. मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में अपना व्यवहार तथा आचरण ठीक रखूंगा/रखूंगी तथा किसी समाज विरोधी कार्यवाही में भाग नही लूंगा/लूंगी एवं विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश तथा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करूँगां/करूँगी अन्यथा मैं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को बाध्य रहूँगा/रहूँगी।
2. मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि प्रवेश आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिए गये सभी विवरण सत्य हैं। यदि किसी समय कोई भी प्रविष्टि असत्य पायी गयी तो विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा।
3. मैं शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा इस सत्र में किसी अन्य संस्थान के किसी भी अन्य कक्षा में प्रवेश नहीं लिया गया है।
4. मैं महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समयानुसार जमा करूँगा/करूँगी। यदि मैं समय पर शुल्क जमा नहीं करता/करती हूँ तो महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने अथवा मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. यदि मैं विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के विरूद्ध किसी अन्य पाठ्यक्रम में इस अथवा अन्य विश्वविद्यालय में इसी सत्र (Current Session) में संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लेता/लेती हूँ तो इस विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में मेरा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
6. यदि मेरी उपस्थिति विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार पूर्ण नहीं होती है तो मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का विश्वविद्यालय को पूर्ण अधिकार रहेगा।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर–

प्रति हस्ताक्षरित
(सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर/संस्थान के शिक्षक द्वारा)

<u>प्रारूप (ख)</u>

पिता अथवा अभिभावक की घोषणा

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि श्री/कु0/श्रीमती .... जो मेरे संरक्षण में रहेंगे/रहेंगी, विश्वविद्यालय में नामांकित छात्र/छात्रा के रूप में अपने अध्ययन के पूरे समय अपना व्यवहार एवं आचरण उचित रखेंगे/रखेंगी। यदि वे उपर्युक्त शपथ का पालन करने में असफल रहते/रहती हैं तो, इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को मेरा पाल्य बाध्य होगा तथा सम्बन्धित प्राधिकारी का निर्णय मुझे मान्य होगा।

हस्ताक्षर– पिता/अभिभावक

अध्यादेश (ORDINANCE)
बी0ए0 / बी0एस–सी0 / बी0 कॉम0 पाठ्यक्रम हेतु
(शैक्षणिक सत्र 2022–2023 से प्रभावी)

1. परिभाषाएं–

1.1 पाठ्यक्रम / कार्यक्रम (**Programme**)–

एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री यथा बी0ए0, बी0एस0–सी0 एवं बी0कॉम0।

1.2 संकाय (**Faculty**)–

1.2.1 संकाय विषयों का समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।

1.3 विषय (**Subject**)–

1.3.1 संस्कृत, हिंदी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि।

1.3.2 एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा।

1.4 कोर्स / पेपर / प्रश्नपत्र (**Course/Paper**)

1.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी / प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स / पेपर / प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

1.4.2 थ्योरी और प्रेक्टिकल के पेपर्स / प्रश्नपत्रों का कोड अलग–अलग होगा।

2. मुख्य (**Major**) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर (Annexture – 1)

2.1 विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य, आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के तीन मुख्य विषयों (Three Major Subjects) का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।

2.3 बी0ए0, बी0एस0–सी0 एवं बी0 काम0 में चौथा माइनर इलेक्टिव विषय (Fourth Minor Elective Subject) विद्यार्थी को अपने संकाय को छोड़कर किसी भी अन्य संकाय (Other Faculty) से लेना होगा और इसके लिए किसी भी Pre-requisite की आवश्यकता नहीं होगी।

2.4 चौथा माइनर इलेक्टिव विषय / कोर्स (Fourth Minor Elective Subject) किसी भी विषय में 4 क्रेडिट का होगा।

2.5 विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों/संस्थानों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर माईनर इलेक्टिव विषय (Minor Elective Subject) में परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के उपरान्त ही विषय में परिवर्तन कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।

2.6 बहुविषयकता (Multidisciplinarity) सुनिश्चित करने के लिए बी0ए0, बी0एस0–सी0 एवं बी0 काम0 स्तर पर माइनर इलेक्टिव विषय (Minor Elective Subject) सभी विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा।

2.7 माइनर इलेक्टिव विषय (Minor Elective Subject) का चयन विद्यार्थी द्वारा अन्य संकाय से करना अनिवार्य होगा।

2.8 विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय वर्ष (स्नातक) में माइनर इलेक्टिव विषय (एक माइनर विषय/पेपर/प्रति वर्ष) लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय को आबंटित कर सकता है।

2.9 विद्यार्थी को उपलब्ध माइनर इलेक्टिव विषय का चुनाव सम सेमेस्टर (द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर) में करना होगा।

2.10 माइनर इलेक्टिव विषय का चुनाव संस्थान में संचालित विषयों के अनुरूप किया जाएगा। चुने हुए माइनर विषय/पेपर कि कक्षायें सम्बन्धित फैकल्टी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ संचालित की जायेगी।

2.11 विद्यार्थी अपना चतुर्थ पेपर माइनर इलेक्टिव (Minor Elective) भारत सरकार/यू0जी0सी0/उत्तराखण्ड शासन इत्यादि से मान्यता प्राप्त ऑनलाईन प्लेटफार्मों में समान क्रेडिट के पाठ्यक्रमों के माध्यम से भी पूर्ण कर सकते हैं।

2.12 मान्यता प्राप्त ऑनलाईन पाठ्यक्रम (**Open Online Course**)

2.12.1 The University Grants Commission (Credit Framework for Online Learning Courses through Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) Regulations, 2021 have been notified in the Gazette of India, which now facilitates an institution to allow up to 40 percent of the total courses being offered in a particular programme in a semester through the online learning courses offered through the SWAYAM platform. Universities with approval of the competent authority may adopt SWAYAM Courses for the benefit of the students. A student will have the option to earn credit by completing quality - assured MOOC programmes offered on the SWAYAM portal or any other online educational platform approved by the UGC/regulatory body from time to time.

2.12.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यार्थी विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों के स्थान पर भारत सरकार/यू0जी0सी0/उत्तराखण्ड शासन/विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ओपन ऑनलाईन प्लेटफार्म (SWAYAM/MOOCS इत्यादि) के माध्यम से भी समान क्रेडिट के विषयों का चयन करने हेतु स्वतन्त्र होगा। ऐसे विषयों का चयन भारत सरकार/यू0जी0सी0/उत्तराखण्ड शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत होने वाले दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत ही मान्य होगा तथा सम्बन्धित विभागों को ऐसे ओपन ऑनलाईन प्लेटफार्म से चयनित किये जाने वाले विषयों को अपने सम्बन्धित पाठ्यक्रम समिति (Board of Studies) इत्यादि से अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य होगा।

3. कौशल विकास कोर्स (**Vocational/Skill Development Courses**) (Annexure-1)

स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स के प्रत्येक सेमेस्टर) में 3 क्रेडिट का एक–एक कौशल विकास कोर्स (3X4=12) क्रेडिट के चार पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होगा।

4. सह–पाठ्यक्रम (**Co-Curricular Course**) (Annexure-1)

4.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षो (छः सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह–पाठ्यक्रम (**Co-Curricular Course**) करना अनिवार्य होगा।

4.2 विद्यार्थी को हर सह–पाठ्यक्रम (**Co-Curricular Course**) को 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा।

5. शोध परियोजना (**Research Project**) (Annexure-1)

6.1 बी0ए0, बी0एस0–सी0 एवं बी0 काम0 स्तर पर विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना करनी होगी।

6.2 बी0ए0, बी0एस0–सी0 एवं बी0 काम0 स्तर पर विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय से सम्बंधित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना (Interdisciplinary) भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग/इंटर्नशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।

6.3 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को–सुपरवाईजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकि संस्थान/शोध संस्थान से भी लिया जा सकता है।

6.4 बी0ए0, बी0एस0–सी0 एवं बी0 काम0 स्तर पर विद्यार्थी तीसरे वर्ष के अंत में (छठे सेमेस्टर के अंत में) दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Report /Dissertation) जमा करेगा, जिसका मूल्यॉकन वर्ष के अंत में सुपरवाईजर/आन्तरिक परीक्षक एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा।

6.5 स्नातक स्तर के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा।

7. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण (Annexure-1)

7.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कार्य कराना होगा।

7.2 प्रैक्टिकल/इर्न्टनशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इर्न्टनशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा।

7.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय ''ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट'' के माध्यम से किये जाएगें, जिसके दिशा निर्देश अलग से जारी किए जाएगें।

7.4 विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है।

एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उस पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षो बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (Surrender) कर 46 क्रेडिट को खाते में रि–क्रेडिट (re-credit) अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षो के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

7.5 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

7.6 तीन वर्ष में विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों (Three Major Subject) के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री प्रदान की जायेगी।

7.7 यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट (112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर ऑफ

लिबरल एजूकेशन (B.L.E.) की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनके स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरेक्विजिट् (Prerequisite) की आवश्यकता नहीं होगी।

7.8 यदि कोई योग्य विद्यार्थी सर्टिफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट रि–क्रेडिट (re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह रि–क्रेडिट (re-credit) किए गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टिफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

8. स्नातक पाठ्यक्रम में ग्रेडिंग प्रणाली

स्नातक पाठ्यक्रमों में यूजीसी के दिशा निर्देशों पर आधारित निम्नलिखित 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जायेगी।

लेटर ग्रेड	विवरण	प्रतिशत अंकों की सीमा	ग्रेड पॉइंट
O	Outstanding	91-100	10
A+	Excellent	81-90	9
A	Very Good	71-80	8
B+	Good	61-70	7
B	Above Average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	33-40	4
F	Fail	0-32	0
AB	Absent	Absent	
Q	Qualified		
NQ	Not Qualified		

9. उत्तीर्ण प्रतिशत

9.1 Qualifying पेपर्स में Qualified के लिए Q ग्रेड तथा Not Qualified के लिए NQ ग्रेड दिया जायेगा।

9.2 उपरोक्त तालिका में मुख्य एवं माइनर विषयों का प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) Credit course हैं तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत अब तक प्रचलित 33 प्रतिशत ही होगा।

9.3 छः सह–पाठ्यक्रम कोर्स (co-curricular courses) तथा तृतीय वर्ष में लघु शोध (Minor Project Qualifying) है तथा इनके उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत होंगे।

9.4 सभी विषयों में मुख्य / माइनर / सह–पाठ्यक्रम / लघु शोध के प्रत्येक कोर्स / पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (वाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी।

9.5 मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स / पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।

9.6 सह–पाठ्यक्रम / लघु शोध विषयों के प्रत्येक कोर्स / पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से 30 अंक (75 का 40 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने होंगे।

9.7 किसी भी कोर्स / पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व वाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 (मुख्य एवं माइनर विषयों में) अथवा 40 (सह–पाठ्यक्रम / लघु शोध विषयों में) प्रतिशत अंक मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा। आन्तरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेंगे।

9.8 किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace Marks) नहीं दिये जायेंगे।

10. कक्षान्नोति (**Promotion**)

10.1 विद्यार्थी को वर्तमान विषम सेमेस्टर (Odd Semester) से अगले सम सेमेस्टर (Even Semester) में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर (Odd Semester) का परिणाम कुछ भी हो।

10.2 वर्तमान सम सेमेस्टर (Even Semester) से अगले विषम सेमेस्टर (Odd Semester) अर्थात वर्तमान वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तों के साथ दी जायेगी :

विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) के कुल आवश्यक (Required) क्रेडिटस् का न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट के पेपर्स (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों तथा पूर्व वर्षो (वर्तमान वर्ष के अतिरिक्त) के लिये आवश्यक (Required) सभी (मुख्य / माईनर / स्किल इत्यादि) पेपर्स तथा Qualifying Papers (सह–पाठ्यक्रम) के क्रेडिटस उत्तीर्ण कर लिये हों।

10.3 50 प्रतिशत क्रेडिट की गणना करने में दशमलव के बाद के अंक नही गिने जायेंगे। जैसे कि 27.6 तथा 27.3 को 27 ही माना जाएगा।

11. बैक पेपर परीक्षा

11.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर परीक्षा नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है किन्तु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर्स की संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा।

11.2 विद्यार्थी को बैक पेपर की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर्स के पेपर्स के लिए सम (विषम) सेमेस्टर्स में ही उपलब्ध होगी।

11.3 विद्यार्थी को बैक पेपर हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर, जिसमें वह परीक्षा दे रहा है, में उपलब्ध होगा।

11.4 विद्यार्थी बैक पेपर हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (वाह्य) परीक्षा कालबाधित ना होने तक चाहे कितनी भी बार दे सकता है किंतु यह व्यवस्था वर्तमान वर्ष से केवल 1 वर्ष पहले के पेपर्स के लिए ही उपलब्ध होगी।

12. काल अवधि

किसी भी एक वर्ष पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्या (Explanation) : यदि विद्यार्थी सत्‌ता में तीनों वर्ष में पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेंगे किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेंगे।

13. SGPA एवं CGPA की गणना –

13.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सूत्रों से की जायेगी :

jth semester के लिए – SGPA (Sj) = ∑(Ci x Gi) / ∑Ci	यहाँ पर – Ci = number of credits of the ith course in jth semester Gi = grade point scored by the student in the ith course in jth semester
GPA = ∑(Cj x Sj) / ∑Cj	यहाँ पर – Sj = SGPA of the jth semester Cj = total number of credits in the jth semester

13.2 CGPA को प्रतिशत अंको में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा :
समतुल्य प्रतिशत = CGPA x 9.5

उदाहरणार्थ SGPA एवं CGPA का आगणन निम्नवत् किया जायेगा :

CALCULATION OF SGPA

Subject	Course	Course Type	Credits of Paper	Internal Assessment	External Assessment	Total Max. Marks 100	Grade	Grade Points	Grade Value**
				Max. Marks 25	Max. Marks 75				
Physics	Course 1 (Th)	Major	4	12	46	58	B	6	24
	Course 2 (Pr)	Major	2	22	70	92	O	10	20
Chemistry	Course 1 (Th)	Major	4	24	65	89	A+	9	36
	Course 2 (Pr)	Major	2	23	66	89	A+	9	18
Economics	Course 1 (Th)	Major	6	16	61	77	A	8	48
History	Course 1 (Th)	Minor	4	21	60	81	A+	9	36
Personality Development	Co-curricular Course	Co-curricular	Qualifying	19	45	64	Q		
	Total		22						182
				Theory Evaluation Max marks 40	Training Evaluation Max Marks 60				
Cyber Security	Vocational Course	Skill	3	20	67	87	A+	9	27
	Grand Total		**25**						**209**

** Grade Value = Grade Point x Credit

The Semester Grade Point Average (SGPA) = Total Grade Value / Total Credits = 209 / 25 = 8.36 (In a semester)

Note : Take only two digits after decimal shall be considered in all the calculations.

CALCULATION OF CGPA

SEMESTER 1	SEMESTER 2	SEMESTER 3	SEMESTER 4
CREDIT : 25 SGPA : 8.36	CREDIT : 21 SGPA : 6.08	CREDIT : 25 SGPA : 8.90	CREDIT : 21 SGPA : 7.22

The Cumulative Grade Point Average (CGPA) = Total Grade value / Total Credits
(In all the semester till now)

Thus, CGPA = (25 x 8.36 + 21 x 6.08 + 25 x 8.90 + 21 x 7.22) / 92 = 7.73

Hence, equivalent percentage = 7.73 x 9.5 = 73.44

And the **Division** will be **First**

13.3 विद्यार्थीयों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जायेगी :

श्रेणी	वर्गीकरण
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 अथवा उससे कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक 5.00 से कम CGPA

14. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण

14.1 क्रेडिट वेलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।

14.2 परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

14.3 यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षायें लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

15. व्याख्या खंड/वैधानिक नियन्त्रण

इस अध्यादेश के क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली व्याख्या के किसी भी मुद्दे के मामले में या किसी अप्रत्याशित परिस्थिति के मामले में, सर्वोच्च प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा

ANNEXURE 1 स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की वर्षवार संरचना

		Subject I	Subject II	Subject III	Subject IV	Vocational	Co- Curricular	Industrial traning/ Survey/ Reserch Projrct	(Minimum Credits)	(Cummulative Minimum Credits)
		Major	Major	Major	Minor Elective	Minor	Minor	Major		
		4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	3 Credits		4 Credits		
Year	Sem	Own Faculty	Own Faculty	Own /Other Faculty	Other Subject/ Faculty	Vocational/ Skill Development Course	Co-Curricular Course (Qualifying)	Inter/Intra Faculty related to main Subject	for the year	Required for Award of Cretificate /Diploma/ Degree
1	I	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1(4/5/6)	1	1		46	(46) Certificate in Faculty
	II	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
2	III	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1(4/5/6)	1	1		46	(92) Diploma in Faculty
	IV	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
3	V	Th-2 (5) or Th-2 (4)+ Pract-1(2)	Th-2 (5) or Th-2 (4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)	40	(132) Bachelor in Faculty
	VI	Th-2 (5) or Th-2 (4)+ Pract-1(2)	Th-2 (5) or Th-2 (4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)		
4	VII	Th-4 (5) or Th-4 (4)+ Pract-1(4)			1(4/5/6)			1 (4)	52	(184) Bachelor (Research) In Faculty
	VIII	Th-4 (5) or Th-4 (4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
5	IX	Th-4 (5) or Th-4 (4)+ Pract-1(4)						1 (4)	48	(232) Master in Faculty
	X	Th-4 (5) or Th-4 (4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
6	XI	2 (6)	1 Research (4) Methodology					1 (Qualifying)	16	(248) PGDR in Subject
6,7,8	XII-XVI							Ph.D. Thesis		Ph.D. in Subject

Seen and done Compliance

Principal
Rajkiya Mahavidyalaya
Amori, Champawat-262523
Uttarakhand

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
माल रोड, अल्मोड़ा– 263601 (उत्तराखण्ड)

Soban Singh Jeena University
Mall Road, Almora- 263601 (Uttarakhand)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 पर आधारित

www.ssju.ac.in

स्नातक पाठ्यक्रमों
(बी0ए0, बी0एस–सी0, बी0कॉम0 एवं बी0एफ0ए0)
के लिए प्रवेश नियम व अध्यादेश
2023

प्रवेश नियम
(सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय/संस्थान हेतु)
(शैक्षणिक सत्र 2022–2023 से प्रभावी)

अध्याय–1 साधारण नियम–

1–1 विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑन लाइन (On Line) पद्धति से प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाएगें। सभी विषयों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय/संस्थान एवं विश्वविद्यालय के परिसरों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे।

1–2 विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्रवेश सम्भव नहीं होगा। On Line प्रवेश Portal अन्तिम तिथि के बाद स्वतः Lock हो जाऐगा। प्रवेश की तिथि के निर्धारण/परिवर्तन/विस्तार के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।

1–3 परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश हेतु परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों के On Line प्रवेश आवेदनों के आधार पर प्रवेश समिति द्वारा अनन्तिम योग्यता सूची तैयार की जायेगी अनन्तिम योग्यता सूची तैयार करने के लिए प्रवेश समितियाँ सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय की वेबसाईट से आवेदनकर्ताओं (आवेदन पत्र) का आंकड़ा (Data) Excel Format में डाउनलोड कर सकते हैं। यदि उपरोक्त डाटा डाउनलोन करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही हो तो इसके लिए परीक्षा नियंत्रक को इमेल के माध्यम से भेजने के लिए सूचित किया जा सकता हैं। परिसर/महाविद्यालय/संस्थान अनन्तिम योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करेंगे और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे, जिनकी समस्त अर्हताओं तथा On Line प्रवेश आवेदन पत्र/फार्मेट में अंकित सूचनाओं का सत्यापन मूल अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों के आधार पर परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर सत्यापन (Verification) कर लिया गया हो।

1–4 On Line माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में अपने आनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा अधिभार/आरक्षण विषयक प्रमाण पत्रों आदि में से प्रत्येक की स्पष्ट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

1–5 अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के समय विश्वविद्यालय की वैबसाईट में प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत उपलब्ध प्रारूप (क) तथा प्रारूप (ख) में उल्लेखित निर्धारित शपथ–पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय के परिसरों द्वारा गठित प्रवेश समिति के शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएंगे।

1–6 किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में स्थान तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश हेतु सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी।

1–7 (क) जो अभ्यर्थी नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम/कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित माहाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र तथ्यों सहित लिखित रूप में प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ग) यदि किसी छात्र के विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।

(घ) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस/प्रशासन द्वारा निरूद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरूद्ध की गयी अवधि के लिए महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दण्डित किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।

1–8 सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य अथवा स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी/समिति युक्तिसंगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को तथ्यों सहित प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

1–9 (क) किसी भी अभ्यर्थी को जो महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासनहीनता करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ख) किसी भी अभ्यर्थी को यदि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यह तथ्य अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश को प्रवेश नियम 1.7 (ख) के अन्तर्गत ''धोखाधड़ी से प्रवेश लेना'' माना जायेगा, तथा ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर परिसर/महाविद्यालय द्वारा यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसकी सूचना परिसर/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय को 15 कार्यदिवसों के अन्तर्गत अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जायेगी।

1–10 प्रवेशरत् किसी भी विद्यार्थी ने यदि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय/संस्थान/संकाय/विभाग में जमा न किया हो, तो ऐसे विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

1–11 अनुसूचित जाति / जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थीयों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत् है :

1– अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत
2– अनुसूचित जनजाति	04 प्रतिशत
3– अन्य पिछड़ा वर्ग	14 प्रतिशत
4– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10 प्रतिशत **(निर्धारित सीटों के अतिरिक्त)**

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित वैद्यता अवधि से पूर्व का न हो।)

नोट : स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार क्षैतिज (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा–

(1)	महिलाऐं	30 प्रतिशत
(2)	भूतपूर्व सैनिक	05 प्रतिशत
(3)	दिव्यांग	05 प्रतिशत
(4)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02 प्रतिशत

(जो महिला / व्यक्ति जिस वर्ग का होगी / होगा उसे श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता–क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)। उत्तराखण्ड शासन द्वारा नीतिगत संशोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।

1–12 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधायें प्रदत्त की जाएगी।

(i) Extension in date of admission upto 30 days

(ii) Relaxation in cut-off percentage upto 10% subject to minimum eligibility requirement.

(iii) Waiving of domicile requirements.

1–13 स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा–

(क) एन0सी0सी0 'बी' 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी 25 अंक

(ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय शिविर में भाग लेने पर)– 20 अंक

(ग) प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगाभाई/बहन– 20 अंक

(घ) जम्मू–कश्मीर में तैनात अर्द्ध–सैनिकों के पुत्र/पुत्री पति/पत्नी/सगा भाई/बहन तथा जम्मू–कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगाभाई/बहन 20 अंक

(ड़) अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर 50 अंक

(च) अन्तर– विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर मान्यता प्राप्त खेल में पदक प्राप्त करने पर 40 अंक

(छ) शासन द्वारा/खेल फैडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने पर 30 अंक

(ज) राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर 25 अंक

(झ) अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर 25 अंक

(ञ) अन्तर महाविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में विजेता अथवा उपविजेता 25 अंक

(ट) जिला शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जिला/मण्डल स्तर पर प्रतिभाग के आधार पर 20 अंक

(ठ) अन्तर–महाविद्यालय प्रतियोगिता में परिसर/महाविद्यालय/संस्थान की किसी खेल की टीम का सदस्य होने पर 15 अंक

नोट– उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम् 50 अंकों का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम् योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

1–14 (क) यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर किसी विषय/विभाग/संकाय/महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है और उसके उपरान्त वह अपने विषय/विभाग/संकाय/महाविद्यालय में परिवर्तन चाहता है तो उक्त परिवर्तन सम्बन्धित परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा उक्त अनापत्ति (NOC) के पश्चात् निर्धारित शुल्क जमा करते हुए प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्थान रिक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा।

(ख) प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर कोई भी परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

1–15 सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी0सी0) के किसी भी विद्यार्थी को स्नातक कक्षाओं/पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम 15 दिन (पन्द्रह दिन) के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/संकाय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

1–16 एक सत्र में एक ही पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश अनुमन्य होगा, एक से अधिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर एक के अतिरिक्त अन्य सभी प्रवेश निरस्त कर दिये जाएंगे। एक ही विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में किसी एक एड–ऑन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक 1–6/2007 (cpp-II) दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 (जो कि एक ही सत्र में दो उपाधि या संयुक्त उपाधि के संबंध में है) के अनुपालन में विश्वविद्यालय प्रवेश समिति के निर्णयानुसार एक सत्र में उस निश्चित अवधि की एक ही उपाधि मान्य होगी। यदि किसी अभ्यर्थी की किसी कारणवश एक सत्र में दो उपाधि होती हैं तो अभ्यर्थी द्वारा नियमानुसार उस समय चल रही एक उपाधि/सेमेस्टर को निरस्त कराना होगा।

1–17 (क) प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा 05 प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष/प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।

(ख) अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद–विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में संस्था अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा जो निर्णय लिया जायेगा वह अभ्यर्थी को मान्य होगा।

1–18 अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में प्रवेश लेने के पश्चात अभ्यर्थी के आवेदन पत्र से सम्बन्धित अभिलेख यथा आवेदन पत्र, शैक्षणिक प्रपत्र, अन्य प्रपत्रों का 03 माह पश्चात विनिष्टिकरण कर दिया जायेगा। यह नियम प्रवेश से वंचित छात्रों के सम्बन्ध में भी लागू होगा।

1–19 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रैगिंग संबंधी विनियम, 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग प्रतिबंधित एवं निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में अपराधी पाए जाने पर संबंधित छात्र–छात्रा के विरूद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

वैधानिक नियन्त्रण– विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

प्र. कुलसचिव

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

अर्हता निर्धारण के नियम

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय/संस्थान हेतु
(शैक्षिणक सत्र 2022–2023 से प्रभावी)

अध्याय–2 अर्हता/योग्यता सूची निर्धारण के नियम–

2–1 स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में प्रवेश भर्ती की निर्धारित सीमा तक संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा इण्टरमीडिएट/Senior Secondary (10+2) कक्षा में अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के अनुसार योग्यता अंकों के आधार पर किए जाएंगे।

उत्तराखण्ड सरकार/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड जैसे उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद /यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण छात्र/छात्रायें ही प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

(क) कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में स्थानों की निर्धारित सीमा के भीतर योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश हेतु अर्हता निम्नवत् होगी :

(1) कला संकाय हेतु इण्टरमीडिएट 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।

(40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)

(2) विज्ञान संकाय हेतु इण्टरमीडिएट (विज्ञान) 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।

(45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)

(3) वाणिज्य संकाय हेतु इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय में 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत) अथवा इण्टरमीडिएट कला/विज्ञान में 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)।

यदि दो अभ्यार्थियों के इण्टरमीडिएट के प्राप्तांक/मेरिट अंक, जिन्होंने इण्टरमीडिएट परीक्षा कला/विज्ञान अथवा वाणिज्य विषय से उत्तीर्ण की हों, बराबर होते हैं तो वाणिज्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रवेश में वरियता दी जायेगी।

(4) दृश्य कला संकाय हेतु इण्टरमीडिएट परीक्षा किसी भी विषय में 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण

(40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)

(5) अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्रत्येक संकाय के अन्तर्गत प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी।

(ख) यदि कोई छात्र/छात्रा स्नातक स्तर की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया/गई हो अथवा प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त छात्र/छात्रा पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना संकाय (e.g. स्नातक स्तर पर विज्ञान से कला अथवा वाणिज्य) परिवर्तित कर परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश चाहता/चाहती है तो ऐसे छात्र/छात्रा द्वारा परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विधिवत आवेदन करना होगा, जिसके उपरान्त ऐसे छात्र/छात्रा को सम्बन्धित

परिसर / महाविद्यालय में प्रवेश नियम 2–1 (क) के अनुसार तथा अवरोध वर्ष के लिए प्राप्तांकों में से 05 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता सूची (Merit Index) में आने पर एवं सम्बन्धित परिसर / महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में उस परिसर / महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

2–2 विश्वविद्यालय / महाविद्यालय परिक्षेत्र में स्थानान्तरित होकर आए व्यक्तियों के पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी / सगा भाई / बहन से वांछित प्रमाण–पत्र प्राप्त कर स्थान उपलब्ध होने पर प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते कि स्थानान्तरण से पूर्व उसके वार्ड का प्रवेश पूर्व स्थान के विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में हो चुका हो तथा पूर्व विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से 75 प्रतिशत तक मिलता हो और जिसकी संस्तुति सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा गठित सक्षम समिति द्वारा प्रदान की गयी हो।

2–3 शिक्षणेत्तर कार्य–कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान / पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्यों / संकायाध्यक्षों की संस्तुति पर प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए प्रवेश के सम्बन्ध में निर्णय देने हेतु अधिकृत होंगे।

2–4 परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठन–पाठन प्रारम्भ किया जायेगा। यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी।

2–5 स्नातक कक्षा में उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यता–क्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक सीटों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जाएगा और केवल स्थान रिक्त रहने एवं प्रवेश की अवधि रहने पर ही इससे अधिक स्थानों पर प्रवेश अनुमन्य हो सकेगा।

2–6 (a) **For Bachelor of Science (B.Sc.) :**

ग्रुप A एवं B में उपलब्ध मुख्य विषय (Major Subject) सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य हैं। अभ्यर्थी तीसरे मुख्य विषय - III (Major Subject- III) का चुनाव ग्रुप - C के विषयों से ही कर सकेगा।

Mathematics Groups :		
Group A	**Group B**	**Group C**
Mathematics	Physics	Chemistry Statistics Computer Science Information Technology Geology Military Science

Biology Groups:		
Group A	**Group B**	**Group C**
Botany	Zoology	Chemistry Forestry Information Technology Geology Milatery Science

(b) For Bachelor of Arts (B.A.) :

अभ्यर्थी को दो मुख्य विषयों (Two Major Subject) का चुनाव निम्नलिखित में से दो प्रथक–प्रथक समूहों से करना होगा। अभ्यर्थी तीसरे मुख्य विषय - III (Major Subject- III) को निम्नलिखित समूहों से चुनेगा। उपरोक्त तीनों मुख्य विषय अलग–अलग समूहों से ही चुने जा सकेंगे।

A	B	C	D	E	F
ENGLISH LITERATURE	DRAWING AND PAINTING	GEOGRAPHY	EDUCATION	HINDI LITERATURE	POLITICAL SCIENCE
KUMAUNI BHASA	ECONOMICS	HISTORY	SOCIOLOGY		
SANSKRIT LITERATURE	PHYSICAL EDUCATION	YOGA			
	PSYCHOLOGY	MILATERY SCIENCE		ANTHROPOLOGY	

(c) For Bachelor of Commerce (B.Com.) :

ग्रुप A एवं B में उपलब्ध मुख्य विषय (Major Subject) सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य हैं। अभ्यर्थी तीसरे मुख्य विषय - III (Major Subject- III) का चुनाव ग्रुप - C के विषयों से कर सकेगा।

Group A	Group B	Group C
Financial Accounting	Business Regulatory Framework	Business Organistion Management
		Business Communication

(d) **<u>For Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) :</u>**

ग्रुप A एवं B में उपलब्ध मुख्य विषय (Major Subject) सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य हैं। अभ्यर्थी मुख्य विषय - III (Major Subject- III) का चुनाव ग्रुप - C के विषयों से कर सकेगा।

Group A	Group B	Group C
Fundamentals of Visual Arts	Drawing	(A) Design
		(B) Indian Folk and Tribal Art

वैधानिक नियन्त्रण– विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

प्र. कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

Annexure-I

प्रारूप (क)
छात्र द्वारा शपथ–पत्र

1. मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में अपना व्यवहार तथा आचरण ठीक रखूंगा/रखूंगी तथा किसी समाज विरोधी कार्यवाही में भाग नही लूंगा/लूंगी एवं विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश तथा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करूँगां/करूँगी अन्यथा मैं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को बाध्य रहूँगा/रहूँगी।
2. मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि प्रवेश आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिए गये सभी विवरण सत्य हैं। यदि किसी समय कोई भी प्रविष्टि असत्य पायी गयी तो विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा।
3. मैं शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा इस सत्र में किसी अन्य संस्थान के किसी भी अन्य कक्षा में प्रवेश नहीं लिया गया है।
4. मैं महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समयानुसार जमा करूँगा/करूँगी। यदि मैं समय पर शुल्क जमा नहीं करता/करती हूँ तो महाविद्यालय/विशवविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने अथवा मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. यदि मैं विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के विरूद्ध किसी अन्य पाठ्यक्रम में इस अथवा अन्य विश्वविद्यालय में इसी सत्र (Current Session) में संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लेता/लेती हूँ तो इस विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में मेरा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
6. यदि मेरी उपस्थिति विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार पूर्ण नहीं होती है तो मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का विश्वविद्यालय का पूर्ण अधिकार रहेगा।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर–

प्रति हस्ताक्षरित
(सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर/संस्थान के शिक्षक द्वारा)

<u>प्रारूप (ख)</u>

पिता अथवा अभिभावक की घोषणा

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि श्री/कु0/श्रीमती .... जो मेरे संरक्षण में रहेंगे/रहेंगी, विश्वविद्यालय में नामांकित छात्र/छात्रा के रूप में अपने अध्ययन के पूरे समय अपना व्यवहार एवं आचरण उचित रखेंगे/रखेंगी। यदि वे उपर्युक्त शपथ का पालन करने में असफल रहते/रहती हैं तो, इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को मेरा पाल्य बाध्य होगा तथा सम्बन्धित प्राधिकारी का निर्णय मुझे मान्य होगा।

हस्ताक्षर– पिता/अभिभावक

अध्यादेश (ORDINANCE)
बी0ए0 / बी0एस–सी0 / बी0 कॉम0 पाठ्यक्रम हेतु
(शैक्षणिक सत्र 2022–2023 से प्रभावी)

1. परिभाषाएं–

1.1 पाठ्यक्रम / कार्यक्रम (Programme)–

एक वर्ष का सार्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री यथा बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0कॉम0 (तीन वर्षीय)एवं बी0एफ0ए0 (चार वर्षीय)।

1.2 संकाय (Faculty)–

1.2.1 संकाय विषयों का समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय एवं दृश्य कला संकाय इत्यादि।

1.3 विषय (Subject)–

1.3.1 संस्कृत, हिंदी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि।

1.3.2 एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा।

1.4 कोर्स / पेपर / प्रश्नपत्र (Course/Paper)

1.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी / प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स / पेपर / प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

1.4.2 थ्योरी और प्रेक्टिकल के पेपर्स / प्रश्नपत्रों का कोड अलग–अलग होगा।

2. मुख्य (Major) विषय तथा माइनर इलेक्ट्रिव पेपर (Annexture – 1)

2.1 विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य, आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के तीन मुख्य विषयों (Three Major Subjects) का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।

2.2 विद्यार्थी को प्रवेश के समय दृश्य कला संकाय का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के तीन मुख्य विषयों (Three Major Subjects) का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा जिसका अध्ययन वह चार वर्ष (प्रथम से आठवें सेमेस्टर) तक कर सकता है।

2.3 बी0ए0, बी0एस0सी0 एवं बी0 काम0 में चौथा माइनर इलेक्टिव विषय (Fourth Minor Elective Subject) विद्यार्थी को अपने संकाय को छोड़कर किसी भी अन्य संकाय (Other Faculty) से लेना होगा और इसके लिए किसी भी Pre-requisite की आवश्यकता नहीं होगी।

2.4 चौथा माइनर इलेक्टिव विषय/कोर्स (Fourth Minor Elective Subject) किसी भी विषय में 4 क्रेडिट का होगा।

2.5 विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों/संस्थानों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर माईनर इलेक्ट्रिव विषय (Minor Electrive Subject) में परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के उपरान्त ही विषय में परिवर्तन कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।

2.6 बहुविषयकता (Multidisplinarity) सुनिश्चित करने के लिए बी0ए0, बी0एस0सी0 एवं बी0 काम0 स्तर पर माइनर इलेक्टिव विषय (Minor Electrive Subject) सभी विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा।

2.7 माइनर इलेक्टिव विषय (Minor Electrive Subject) का चयन विद्यार्थी द्वारा अन्य संकाय से करना अनिवार्य होगा।

2.8 विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय वर्ष (स्नातक) में माइनर इलेक्टिव विषय (एक माइनर विषय/पेपर/प्रति वर्ष) लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय को आबंटित कर सकता है।

2.9 विद्यार्थी को उपलब्ध माइनर इलेक्टिव विषय का चुनाव सम सेमेस्टर (द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर) में करना होगा।

2.10 माइनर इलेक्टिव विषय का चुनाव संस्थान में संचालित विषयों के अनुरूप किया जाएगा। चुने हुए माइनर विषय/पेपर कि कक्षायें सम्बन्धित फैकल्टी में संचालित उसी कोर्स कि कक्षाओं के साथ होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ संचालित की जायेगी।

2.11 विद्यार्थी अपना चतुर्थ पेपर माइनर इलेक्टिव (Minor Elective) भारत सरकार/यू0जी0सी0/उत्तराखण्ड शासन इत्यादि से मान्यता प्राप्त ऑनलाईन प्लेटफार्मों में समान क्रेडिट के पाठ्यक्रमों के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं।

2.12 मान्यता प्राप्त ऑनलाईन पाठ्यक्रम (**Open Online Course**)

2.12.1 The University Grants Commission (Credit Framework for Online Learning Courses through Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) Regulations, 2021 have been notified in the Gazette of India, which now facilitates an institution to allow up to 40 percent of the total courses being offered in a particular programme in a semester through the online learning courses offered through the SWAYAM platform. Universities with approval of the competent authority may adopt SWAYAM Courses for the benefit of the students. A student will have the option to earn credit by completing quality - assured MOOC programmes offered on the

SWAYAM portal or any other online educational platform approved by the UGC/regulatory body from time to time.

2.12.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यार्थी विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों के स्थान पर भारत सरकार/यू0जी0सी0/उत्तराखण्ड शासन/विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ओपन ऑनलाईन प्लेटफार्म (SWAYAM/MOOCS इत्यादि) के माध्यम से भी समान क्रेडिट के विषयों का चयन करने हेतु स्वतन्त्र होगा। ऐसे विषयों का चयन भारत सरकार/यू0जी0सी0/उत्तराखण्ड शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत होने वाले दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत ही मान्य होगा तथा सम्बन्धित विभागों को ऐसे ओपन ऑनलाईन प्लेटफार्म से चयनित किये जाने वाले विषयों को अपने सम्बन्धित पाठ्यक्रम समिति (Board of Studies) इत्यादि से अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य होगा।

3. कौशल विकास कोर्स (Vocational/Skill Development Courses) (Annexure-1)

स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स के प्रत्येक सेमेस्टर) में 3 क्रेडिट का एक–एक कौशल विकास कोर्स (3X4=12) क्रेडिट के चार पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होगा।

4. सह–पाठ्यक्रम (Co-Curricular Course) (Annexure-1)

4.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षो (छः सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह–पाठ्यक्रम (**Co-Curricular Course**) करना अनिवार्य होगा।

4.2 विद्यार्थी को हर सह–पाठ्यक्रम (**Co-Curricular Course**) को 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा।

5. शोध परियोजना (Research Project) (Annexure-1)

6.1 बी0ए0, बी0एस0सी0 एवं बी0 काम0 स्तर पर विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना करनी होगी।

6.2 बी0 एफ0 ए0 स्तर पर विद्यार्थी को चौथे वर्ष में लघु शोध परियोजना करनी होगी।

6.3 बी0ए0, बी0एस0सी0 एवं बी0 काम0 स्तर पर विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय से सम्बंधित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना

(Interdisciplinary) भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग/इंटर्नशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।

6.4 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को–सुपरवाईजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकि संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है।

6.5 बी0ए0, बी0एस0सी0 एवं बी0 काम0 स्तर पर विद्यार्थी को तीसरे वर्ष के अंत में (छठे सेमेस्टर के अंत में) दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Report /Dissertation) जमा करेगा, जिसका मूल्यॉंकन वर्ष के अंत में सुपरवाईजर/आन्तरिक परीक्षक एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाहय परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा।

6.6 बी0एफ0ए0 स्तर पर विद्यार्थी को चौथे वर्ष के अंत में (आठवें सेमेस्टर के अंत में) दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Report /Dissertation) जमा करेगा, जिसका मूल्यॉंकन वर्ष के अंत में सुपरवाईजर/आन्तरिक परीक्षक एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाहय परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा।

6.7 स्नातक स्तर के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा।

7. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण (Annexure-1)

7.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कार्य कराना होगा।

7.2 प्रैक्टिकल/इर्न्टनशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इर्न्टनशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा।

7.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय ''ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट'' के माध्यम से किये जाएगें, जिसके दिशा निर्देश अलग से जारी किए जाएगें।

7.4 विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है।

एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षो बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (Surrender) कर 46 क्रेडिट को खाते में रि–क्रेडिट (re-credit) अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षो के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

7.5 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

7.6 तीन वर्ष में विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों (Three Major Subject) के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री प्रदान की जायेगी।

7.7 यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट (112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजूकेशन (B.L.E.) की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनके स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरिक्वजाइट (Prerequisite) की आवश्यकता नहीं होगी।

7.8 यदि कोई योग्य विद्यार्थी सर्टीफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट रि–क्रेडिट (re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह रि–क्रेडिट (re-credit) किए गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

8. स्नातक पाठ्यक्रम में ग्रेडिंग प्रणाली

स्नातक पाठ्यक्रमों में यूजीसी के दिश निर्देशों पर आधारित निम्नलिखित 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जायेगी।

लेटर ग्रेड	विवरण	प्रतिशत अंकों की सीमा	ग्रेड पॉइंट
O	Outstanding	91-100	10
A+	Excellent	81-90	9
A	Very Good	71-80	8
B+	Good	61-70	7
B	Above Average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	33-40	4
F	Fail	0-32	0
AB	Absent	Absent	
Q	Qualified		
NQ	Not Qualified		

9. उत्तीर्ण ग्रेड

9.1 Qualifying पेपर्स में Qualified के लिए Q ग्रेड तथा Not Qualified के लिए NQ ग्रेड दिया जायेगा।

9.2 उपरोक्त तालिका में मुख्य एवं माइनर विषयों का प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) Credit course हैं तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत अब तक प्रचलित 33 प्रतिशत ही होगा।

9.3 छः सह–पाठ्यक्रम कोर्स (co-curricular courses) तथा तृतीय वर्ष में लघु शोध (Minor Project Qualifying) है तथा इनके उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत होंगे।

9.4 सभी विषयों में मुख्य/माइनर/सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (वाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी।

9.5 मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।

9.6 सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से 30 अंक (75 का 40 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने होंगे।

9.7 किसी भी कोर्स/पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व वाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 (मुख्य एवं माइनर विषयों में) अथवा 40 (सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों में) प्रतिशत अंक मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा। आन्तरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेंगे।

9.8 किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace Marks) नहीं दिये जायेंगे।

10. कक्षान्नोति (Promotion)

10.1 विद्यार्थी को वर्तमान विषम सेमेस्टर (Odd Semester) से अगले सम सेमेस्टर (Even Semester) में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर (Odd Semester) का परिणाम कुछ भी हो।

10.2 वर्तमान सम सेमेस्टर (Even Semester) से अगले विषम सेमेस्टर (Odd Semester) अर्थात वर्तमान वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तों के साथ दी जायेगी :

विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) के कुल आवश्यक (Required) क्रेडिटस् का न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट के पेपर्स (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों तथा पूर्व वर्षो (वर्तमान

वर्ष के अतिरिक्त) के लिये आवश्यक (Required) सभी (मुख्य/माईनर/स्किल इत्यादि) पेपर्स तथा Qualifying Papers (सह–पाठ्यक्रम) के क्रेडिटस उत्तीर्ण कर लिये हों।

10.3 50 प्रतिशत क्रेडिट की गणना करने में दशमलव के बाद के अंक नही गिने जायेंगे। जैसे कि 27.6 तथा 27.3 को 27 ही माना जाएगा।

11. बैक पेपर परीक्षा

11.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर परीक्षा नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है किन्तु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर्स की संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा।

11.2 विद्यार्थी को बैक पेपर की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर्स के पेपर्स के लिए सम (विषम) सेमेस्टर्स में ही उपलब्ध होगी।

11.3 विद्यार्थी को बैक पेपर हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर, जिसमें वह परीक्षा दे रहा है, में उपलब्ध होगा।

11.4 विद्यार्थी बैक पेपर हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (वाह्य) परीक्षा काल बाधित ना होने तक चाहे कितनी भी बार दे सकता है किंतु यह व्यवस्था वर्तमान वर्ष से केवल 1 वर्ष पहले के पेपर्स के लिए ही उपलब्ध होगी।

12. काल अवधि

किसी भी एक वर्ष पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्या (Explanation) : यदि विद्यार्थी सतता में तीनों वर्ष में पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेंगे किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सार्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेंगे।

13. SGPA एवं CGPA की गणना –

13.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सूत्रों से की जायेगी :

jth semester के लिए –	यहाँ पर – Ci = number of credits of the ith course in jth semester

SGPA (Sj) = $\sum$(Ci x Gi) / $\sum$Ci	Gi = grade point scored by the student in the ith course in jth semester
CGPA = $\sum$(Cj x Sj) / $\sum$Cj	यहाँ पर – Sj = SGPA of the jth semester Cj = total number of credits in the jth semester

13.2 CGPA को प्रतिशत अंको में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा :
समतुल्य प्रतिशत = CGPA x 9.5

उदाहरणार्थ SGPA एवं CGPA का आगणन निम्नवत् किया जायेगा :

CALCULATION OF SGPA

Subject	Course	Course Type	Credits of Paper	Internal Assessment	External Assessment	Total Max. Marks 100	Grade	Grade Points	Grade Value**
				Max. Marks 25	Max. Marks 75				
Physics	Course 1 (Th)	Major	4	12	46	58	B	6	24
	Course 2 (Pr)	Major	2	22	70	92	O	10	20
Chemistry	Course 1 (Th)	Major	4	24	65	89	A+	9	36
	Course 2 (Pr)	Major	2	23	66	89	A+	9	18
Economics	Course 1 (Th)	Major	6	16	61	77	A	8	48
History	Course 1 (Th)	Minor	4	21	60	81	A+	9	36
Personality Development	Co-curricular Course	Co-curricular	Qualifying	19	45	64	Q		
	Total		22						182
				Theory Evaluation Max marks 40	Training Evaluation Max Marks 60				
Cyber Security	Vocational Course	Skill	3	20	67	87	A+	9	27
	Grand Total		**25**						**209**

** Grade Value = Grade Point x Credit

The Semester Grade Point Average (SGPA) = Total Grade Value / Total Credits = 209 / 25 = 8.36 (In a semester)

Note : Take only two digits after decimal in all the calculations.

CALCULATION OF CGPA

SEMESTER 1	SEMESTER 2	SEMESTER 3	SEMESTER 4
CREDIT : 25 SGPA : 8.36	CREDIT : 21 SGPA : 6.08	CREDIT : 25 SGPA : 8.90	CREDIT : 21 SGPA : 7.22

The Cumulative Grade Point Average (CGPA) = Total Grade value / Total Credits (In all the semester till now)

Thus, CGPA = (25 x 8.36 + 21 x 6.08 + 25 x 8.90 + 21 x 7.22) / 92 = 7.73

Hence, equivalent percentage = 7.73 x 9.5 = 73.44

And the **Division** will be **First**

13.3 विद्यार्थीयों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जायेगी :

श्रेणी	वर्गीकरण
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 अथवा उससे कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक 5.00 से कम CGPA

14. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण

14.1 क्रेडिट वेलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।

14.2 परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

14.3 यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षायें लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

15. व्याख्या खंड / वैधानिक नियन्त्रण

इस अध्यादेश के क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली व्याख्या के किसी भी मुद्दे के मामले में या किसी अप्रत्याशित परिस्थिति के मामले में, सर्वोच्च प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

प्र. कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्व...
अल्मोड़ा, उत्त...

ANNEXURE 1 स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की वर्षवार संरचना

Year	Sem	Subject I	Subject II	Subject III	Subject IV	Vocational	Co- Curricular	Industrial traning/ Survey/ Reserch Projrct	(Minimum Credits) for the year	(Cummulative Minimum Credits) Required for Award of Cretificate /Diploma/ Degree
		Major	Major	Major	Minor Elective	Minor	Minor	Major		
		4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	3 Credits		4 Credits		
		Own Faculty	Own Faculty	Own /Other Faculty	Other Subject/ Faculty	Vocational/ Skill Development Course	Co-Curricular Course (Qualifying)	Inter/Intra Faculty related to main Subject		
1	I	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1(4/5/6)	1	1		46	(46) Certificate in Faculty
	II	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
2	III	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1(4/5/6)	1	1		46	(92) Diploma in Faculty
	IV	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
3	V	Th-2 (5) or Th-2 (4)+ Pract-1(2)	Th-2 (5) or Th-2 (4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)	40	(132) Bachelor in Faculty
	VI	Th-2 (5) or Th-2 (4)+ Pract-1(2)	Th-2 (5) or Th-2 (4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)		
4	VII	Th-4 (5) or Th-4 (4)+ Pract-1(4)			1(4/5/6)			1 (4)	52	(184) Bachelor (Research) In Faculty
	VIII	Th-4 (5) or Th-4 (4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
5	IX	Th-4 (5) or Th-4 (4)+ Pract-1(4)						1 (4)	48	(232) Master in Faculty
	X	Th-4 (5) or Th-4 (4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
6	XI	2 (6)	1 Research (4) Methodology					1 (Qualifying)	16	(248) PGDR in Subject
6,7,8	XII-XVI							Ph.D. Thesis		Ph.D. in Subject

Admitted rules in College

Principal
Rajkiya Mahavidyalaya
Amori, Champawat-262523
Uttarakhand